

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1262/2024

IN THE MATTER OF:

Shankar Lal Lakhande & Ors.

...APPLICANT

v.

State of Madhya Pradesh & Ors.

...RESPONDENTS

INDEX

S. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Affidavit on behalf of Respondent No. 4 – District Magistrate, Balghat	1-6
2.	Annexure R-1: Copy of showcause notice dated 08.08.2025	7-8
3.	Annexure R-2: Copy of showcause notice dated 29.08.2025	9-10
4.	Annexure R-3: Copy of FIR dated 04.01.2025	11-17
5.	Annexure R-4: Copy of FIR dated 30.08.2025	18-25
6.	Annexure R-5: Copies of relevant maps	26-27
7.	Annexure R-5(Colly): Copies of minutes of meetings of the task force committee	28-51
8.	Annexure R-6: Copy of letter issued by the Answering Respondent to the Collector, District Bhandara	52

Filed by:



Ms. Rukhmini Bobde
Advocate on behalf of Respondent No. 4
D-366, Ground Floor, Defence Colony
New Delhi-110024
Mob: 9871738029
Email: bobde.rukhmini@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1262/2024

IN THE MATTER OF:

Shankar Lal Lakhande & Ors.

...APPLICANT

v.

State of Madhya Pradesh & Ors.

...RESPONDENTS

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4-DISTRICT
MAGISTRATE, BALAGHAT**

I, **Mrinal Meena**, s/o **R.S. Meena**, aged about **35** years, presently working at **Collector Balaghat**, do hereby solemnly affirm and state as under: -

1. That I am the Respondent No. 4 in the captioned application and as such am competent to swear this affidavit.

2. The present original application was registered by this Hon'ble Tribunal in exercise of its suo-moto jurisdiction. The present application is concerning the illegal sand mining in village Chicholi in river Bawanthadi in Madhya Pradesh. This Hon'ble Tribunal had constituted a



Gautam
NIKHIL KUMAR GAUTAM
ADVOCATE & NOTARY
BALAGHAT (M P) INDIA

Joint Committee with Central Pollution Control Board being the nodal agency.

3. That this Hon'ble Tribunal *vide* order dated 08.07.2025 had directed the answering Respondent for taking appropriate action in accordance with the recommendations made by the Joint Committee Report.
4. That pursuant to the directions of this Hon'ble Tribunal, the answering Respondent had visited the mining site wherein discrepancies were noted between the geocoordinates provided in the mining plan and those inscribed on the boundary pillars physically installed at the site. Based on these differences, accountability has been fixed on the concerned MDO and show cause notices have been issued.
5. That based on the Joint Committee Report and complaints related to the operations in the mining area, show cause notices were issued against the parties. Copies of the show cause notices dated 08.08.2025 and 29.08.2025 issued by the Answering Respondent has been annexed herewith as **Annexure R-1** and **Annexure R-2** respectively.

6. It is also submitted that FIRs had also been lodged against all those who are indulging in illegal mining. A FIR was also registered in this regard on 04.01.2024. It is submitted that as part of the remedial action taken by



Gautam

(Signature)


NIKHIL KUMAR GAUTAM
ADVOCATE & NOTARY

the answering Respondent to curb the illegal mining in the area, another FIR dated 30.08.2025 was registered. A copy of the FIRs dated 04.01.2024 and 30.08.2025 has been annexed herewith and marked as **Annexure R-3** and **Annexure R-4** respectively.

7. It is also respectfully submitted that the coordinates reflected on Google Earth are not a reliable source for determining the precise geographical position. Therefore, to ascertain the correct location, official geospatial maps of the concerned location, official geospatial maps of the concerned village were downloaded from the Land Records Department's website (<https://mpbhulekh.gov.in>). The coordinates mentioned in the DGPS survey and those shown in the approved mining plan were plotted on these official maps, and both were found to coincide substantially. It may be noted that although, on Google Earth, portions of the Chicholi mine appear to extend into the State of Maharashtra, the digitized maps issued by the Land Records Department confirm that the area as per the mining plan and DGPS survey lies wholly within the State of Madhya Pradesh.

Copies of the relevant maps are enclosed as **Annexure R-5**.

8. It is also submitted that as per the recommendations of the Joint Committee Report, geotagging of the mines had been done and the results



(Signature)
NIKHIL KUMAR GAUTAM
 ADVOCATE & NOTARY
 BALAGHAT (M.P.) INDIA

(Signature)

are being publicly displayed of the site of the answering Respondent at <https://balaghat.nic.in/en/document/district-survey-report-for-minerals/>.

9. The details of all the sand mines in the District Balaghat under the District Survey Report have been displayed mine-wise on the website of the answering Respondent, which includes annual replenishment sand quantity and annual excavation details for each mine.

10. To monitor sand mining activities, a Task Force committee comprising of inter-departmental officers has been constituted by the answering Respondent. The committee includes officers from the Revenue, Police, Forest, Mining, and other relevant departments. Through this committee, regular reviews are conducted to monitor and prevent illegal mining, transportation, and storage of minerals in the district, and necessary actions are taken accordingly. Copies of the minutes of the task force meetings have been annexed herewith and marked as **Annexure R-**

(Colly).

11. At the inter-state level, coordination has been established between the Answering respondent and the Collector, District Bhandara (Maharashtra), and it has been decided that monthly inspections will be conducted by departmental staff. A copy of the letter written by the




Gautam
NIKHIL KUMAR GAUTAM
 ADVOCATE & NOTARY
 BALAGHAT (M.P.) INDIA

(Signature)

Answering Respondent to the Collector, District Bhandara, is annexed herewith and marked as **Annexure R-7**.

12. That, the Answering Respondent humbly craves the leave of this Hon'ble Tribunal to adduce additional facts by way of additional affidavit as may be deemed necessary for the proper adjudication of the instant application by this Hon'ble Tribunal.



DEPONENT

VERIFICATION:


I, the deponent named above, do hereby verify that the contents of the above affidavit are believed to be true and correct on the basis of the information derived from the record of the case and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at on this 10 day of October, 2025 at Balaghat.





NIKHIL KUMAR GAUTAM
ADVOCATE & NOTARY
BALAGHAT (M.P.) INDIA



DEPONENT



शपथकर्ता


Sworn before me on the day of 02 10 0 1
 By M. Prasad Meena S/D/W of R. J. Meena
 R/O Warking at Collector, Balaghat
 Who is personally know to me (or) who has
 been identified by Durgesh Daheriya
 whose signature Thumb impression is there
 to appended.

10 OCT 2025


 NIKHIL KUMAR GAUTAM
 ADVOCATE & NOTARY
 BALAGHAT (M P) INDIA


 पहचानकर्ता

// कारण बताओ नोटिस //

क्रमांक/614/खनिज/2025
प्रति,

बालाघाट दिनांक 8/08/2025

मेसर्स आर.जी. एण्ड
एसोसियेटेड्स
(माइन डेवलपर कम ऑपरेटर)
अधिकृत श्री रमेश दुबे
निवासी- वार्ड नं. 15 बैहर रोड
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :- माननीय नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एन.जी.टी.) सेन्ट्रल जोन नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 1262/2024 की जांच हेतु गठित Joint Committee द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार पाई गई अनियमितताओं के संबंध में।

संदर्भ :- माननीय नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एन.जी.टी.) सेन्ट्रल जोन नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 1262/2024 की जांच हेतु गठित Joint Committee द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21.12.2024।

-----000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोन नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 1262/2024 में दिनांक 20.11.2024 द्वारा पारित आदेश अनुसार, जिला कलेक्टर बालाघाट, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित सदस्य, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल द्वारा नामित सदस्य तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के नामित सदस्य की संयुक्त समिति का गठन किया गया। गठित संयुक्त समिति द्वारा शिकायती क्षेत्र का दिनांक 13.12.2024 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त संयुक्त जांच रिपोर्ट माननीय एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोन नई दिल्ली को प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार शिकायती क्षेत्र में निम्न बिन्दु अनुसार आरोप आक्षेपित किये गये हैं जो निम्नानुसार हैं-

- 1- The geo-coordinate given in mining plan and the physical pillars' co-ordinate as recorded during field visit were mapped on the Google Earth Software and found that the area where the Mine Developer Operator (MDO) has erected mine pillars is not as per the mine lease area recorded in Mining plan & Environmental clearance.
- 2- The geo-graphical location of the actual mine boundary as per approved mine plan and the boundary found defined during the field visit is as .) tabulated below.

Boundary Points	Geo-coordinates of the mine lease in Chicholi as per approved mine Plan		Geo-coordinates of the pillars found erected during field visit on	
	Latitude	Longitude	Latitude	Longitude
A	21°31'51.33"N	79°52'07.01"E	21°31'52.56"N	79°52'31.26"E
B	21°31'53.54"N	79°51'55.78"E	21°31'47.53"N	79°52'29.79 E
C	21°31'48.75"N	79°51'54.73"E	21°31'46.80"N	79°52'15.28"E
D	21°31'46.96"N	79°52'06.13"E	21°31'51.11"N	79°52'15.77 E

- 3- On the day of field visit i.e. 13.12.2024, it was clearly evident that apart from the mining in the site at which pillars have been erected, mining has also been done in the area coordinates as given in the mine plan and it seems efforts have been made before 1-2 days to level this lease area by using machinery to hide the mining signs. The marks of tractor & other vehicles tyres were clearly visible during site visit. The committee asked to Sh Khushil Kumar Muhaare, Patwari, Murvaad (Additional Charge of Chicholi village) to carry out a tentative measurement of the area wherein excavation was carried out as claimed by the villagers. The measurement states that on the bank, the average height of the sand bed was observed 1.67 m varying from 1 to 3 m. The levelled area upto the bank was spread in average width of 120 m and in the total length of 510 m.

4- The villagers have made the complaint of illegal excavation at the site co-ordinates given under the mine plan. Therefore, it seems that the mining has been carried out in both these areas, i.e. mine lease area and the area which is about 250 meters away from actual mine lease boundary. Both these areas are shown in the Google Earth satellite imagery of year 2021.

5- Status of sand mining at Chicholi village

(a) Village Chicholi is located on the left bank of river Bawanthadi. Earlier, the sand mining contract was awarded by MP State Mining Corporation Ltd to M/s Rajesh Pathak (Contractor) from 30.5.2020 to 30.6.2023 for total 67 mine leases of total 324.697 Ha area of Balaghat District. Out of these 67 mine leases, 08 (Kodbi, Bamhani, Bonkatta, Hardoli, Tuiyapar, Chicholi, Chicholi-II and Mowad) were on river Bawanthadi. The mine lease of 4.99 Ha on Khasra no. 463 (of total area 49.388 Ha) at village Chicholi is one of the 08 mine leases on Bawanthadi river.

(b) Further, MP State Mine Corporation Ltd, through e-tender dated 5.2.2023 selected successful bidder. M/s Shri Ramesh Prasad Dubey and Shri Girish Pathak (M/s RG Associates Consortium) was selected as successful bidder and regarding this an Information letter was issued on 3.5.2024 by the Corporation for mining in 65 sand mines for annual mining of 15 Lacs m³ sand. Copy of the Letter of Intimation (LOI) & Information letter dated 4.9.2023 and 3.5.2024

This contract includes the mine lease of 4.99 Ha at Khasra no. 463 (Out of total area 49.388 Ha) of village Chicholi. The complainant has raised issued of illegal sand mining on this mine lease of village Chicholi.


6- Recommendation

Based on the field observation made by the joint committee it is recommended that.

SEIAA shall put the Environmental Clearance in abeyance till the procedural corrections made. Environmental Clearance shall be revised with site specific findings.

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओ से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 में निहित प्रावधानों एवं मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम अध्याय-पांच नियम 18 का उल्लंघन किया जाना पाया गया है। क्यो न उक्त नियम के तहत आपके विरुद्ध अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि अधिरोपित किया जावे। उपरोक्त के संबंध में अपना समाधान कारक जवाब 15 दिवस के भीतर समक्ष/कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा कि स्थिति में नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)



08/08/2025
प्रभारी अधिकारी

खनिज शाखा बालाघाट
बालाघाट दिनांक 8/08/2025

पृ. क्रमांक/ 614 / खनिज / 2025

प्रतिलिपि- A

- 1- प्रबंध संचालक, दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लिमि. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2- संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, 29-ए अरेरा हिल्स खनिज भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 3- सदस्य सचिव, स्टेट इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (सीया) पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्कीम नं. 5, प्लॉट नं. 455/456, विजय नगर जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
- 5- कनिष्ठ प्रबंधक, पूरनलाल लक्ष्यकार दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लिमि. जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


08/08/2025
प्रभारी अधिकारी

खनिज शाखा बालाघाट

ANNEXURE R-2

कार्यालय कलेक्टर (खनिज विभाग) जिला बालाघाट (म.प्र.) 9

Office e-mail - modgmbal@mp.gov.in

::कारण बताओ नोटिस::

म.प्र. गौण खनिज नियम 2022 म.प्र. राजपत्र दिनांक 08.04.2022 देखिए नियम 18(3)

क्रमांक / 657 / खनिज / 2025

बालाघाट दिनांक 29/08/2025

प्रति,

उल्लंघनकर्ता – मेसर्स आर.जी. एण्ड एसोसियेट्स
(माइन डेवलपर कम ऑपरेटर) अधिकृत श्री रमेश दुबे
निवासी- वार्ड नं. 15 बैहर रोड जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :-

ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी जिला बालाघाट के ख.न. 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र पर स्वीकृत रेत खदान में मान. एन.जी.टी. के प्रकरण क्रमांक 1262/2024 की जांच टीप द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उक्त स्वीकृत क्षेत्र के बाहर क्षेत्र में खनिज का अवैध उत्खनन किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :-

खनि निरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 28.08.2025।

---:000:---

उपरोक्त विषयांतर्गत, लेख है कि खनि निरीक्षक के प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28.08.2025 अनुसार ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में तत्समय एम.डी.ओ. मेसर्स आर.जी. एसोसिएट्स को स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र से बाहर क्षेत्र में अवैध उत्खनन किये जाने बावत् मान. एन.जी.टी. सेंट्रल जोन नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 1262/2024 में दिनांक 20.11.2024 द्वारा पारित आदेश अनुसार गठित संयुक्त समिति द्वारा उक्त शिकायत का दिनांक 13.12.2024 को निरीक्षण किया गया। उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा संयुक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र के बाहर आपके द्वारा खनिज रेत का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है। जो कि जांच टीम के माप अनुसार लंबाई लगभग 510 मी., चौड़ाई लगभग 120 मी. एवं औसतन गहराई 01 मी. होना पाया गया, जो कि कुल उत्खनन मात्रा 61200 घ.मी. होता है।

उक्त के संबंध में अपना समाधान कारक जवाब 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 614 दिनांक 08.08.2025 द्वारा आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, आपके द्वारा उक्त नोटिस में नियम समयावधि के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता उक्त प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु आपको रुचि नहीं है तथा उक्त उल्लंघन आपके द्वारा किया गया है।

उपरोक्तानुसार एम.डी.ओ. द्वारा ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र की सीमा से बाहर खनिज रेत का उत्खनन किया जाना निविदा/अनुबंध की शर्त एवं म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम) 2022 के उपनियम के नियम 18 के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण म.प्र. रेत नियम 2022 के नियम 18 के प्रावधानों के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है, जो कि निम्नानुसार है :-

1.	अवैध खनिज रेत उत्खनन क्षेत्र का विवरण	ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र पर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर लंबाई 510 मी., चौड़ाई लगभग 120 मी. एवं औसतन गहराई 01 मी.।
2.	अवैध खनन कर्ता का नाम	मेसर्स आर.जी. एण्ड एसोसियेट्स (माइन डेवलपर कम ऑपरेटर) अधिकृत श्री रमेश दुबे निवासी- वार्ड नं. 15 बैहर रोड जिला बालाघाट (म.प्र.)
3.	अवैध उत्खनित खनिज रेत की मात्रा	61200 घ.मी.
4.	खनिज रेत की रॉयल्टी दर	125/- प्रति घ.मी.
5.	अवैध खनन किये खनिज रेत की रॉयल्टी रु.	76,50,000.00
6.	रॉयल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि रु.	11,47,50,000.00
7.	पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि नियम 18 के उपनियम 2 में विहित प्रावधान के तहत।	11,47,50,000.00
8.	कुल अधिरोपित राशि रु.	22,95,00,000.00 /-

उपरोक्तानुसार मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18(4) के प्रावधानों के तहत प्रशमन किया जाने की प्रत्याशा में प्रशमन शुल्क 1,000/- रू0 खनिज मद में जमा कर कुल अधिरोपित अर्थदण्ड राशि 22,95,00,000/- रूपये खनिज मद में जमा कर प्रशमन किया जा सकता है। अन्यथा कि स्थिति में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18(6) के प्रावधान के तहत कुल शास्ति की दुगुना राशि 45,90,00,000/- रूपये (पैंतालीस करोड़ नब्बे लाख रूपये) अधिरोपित किया जावेगा एवं नियम 18(5) के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

अतः उपरोक्त के संबंध में आप अपना लिखित जवाब इस कार्यालय में 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।



कलेक्टर

जिला बालाघाट (म.प्र.)

बालाघाट दिनांक 29/08/2025

पृ0 क्रमांक/657-A/खनिज/2025
प्रतिलिपि:-

खनि निरीक्षक, जिला बालाघाट को सूचनार्थ एवं लेख है कि संबंधित को पत्र तामिल कराकर पावती अभिस्वीकृति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।



कलेक्टर

जिला बालाघाट (म.प्र.)

ANNEXURE R-3

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): बालाघाट P.S. (थाना): खेरनौजी
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0002 Year (वर्ष): 2024
Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 04/01/2024 22:03 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	379
2	मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019	20(1)
3	मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019	20(2)
4	मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019	20(3)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): गुरुवार	Date From (दिनांक से): 04/01/2024	Date To (दिनांक तक): 04/01/2024
Time Period (समय अवधि): पहर 6	Time From (समय से): 15:50 बजे	Time To (समय तक): 18:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 04/01/2024
Time (समय): 21:13 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 012

Date & Time (दिनांक और समय): 04/01/2024 21:13

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

M.C.R.B (एन.सी. कार की,
LLF-4 (एकीकृत नॉन कार्ड))

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (घाना से दूरी और दिशा): दक्षिण. 15 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): ग्राम डोगरिया, वाहनबन्दी नदी पर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि घाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (घाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): मुकेश बाहिले खनिज निरीक्षण बालाघाट

(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1986

(d) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)

Id Number (पहचान संख्या)

1

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	खनिज कार्यालय बालाघाट, खैरलॉजी, बालाघाट, मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	खनिज कार्यालय बालाघाट, खैरलॉजी, बालाघाट, मध्य प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Allas (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	संतोष पंडे/santosh pandre		पिता का नाम : टेकराम पंडे	1. मानकापुर, नागपुर, नागपुर ग्रामीण, महाराष्ट्र, भारत

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-1 (एकीकृत जाँच फार्म -1)

2	शकील खान/shakeel khaan		पिता का नाम : बलील खान	1. मच्छीपुल, कामठी, नागपुर ग्रामीण, महाराष्ट्र, भारत
3	संदीप कामुने/sandeep kamune		पिता का नाम : सीताराम कामुने	1. सिटीवानी तालुका सावनेर, नागपुर ग्रामीण, महाराष्ट्र, भारत
4	आफता अहमद/afta ahmad		पिता का नाम : मोहम्मद हवीब	1. कामठी, नासिक ग्रामीण, महाराष्ट्र, भारत
5	सादिक अली /sodik ali		पिता का नाम : अब्दुल मजीद	1. पारसिवनी कामठी, नागपुर ग्रामीण, महाराष्ट्र, भारत
6	किशोर गजभिये /kishore gajbhiye		पिता का नाम : आदिनाथ गजभिये	1. विच्छुटेकाडी अमरावती, अमरावती ग्रामीण, महाराष्ट्र, भारत
7	आवेश खान /avesh khan		पिता का नाम : अजीज खान	1. यशोदर चौक पीली नदी, नागपुर शहर, महाराष्ट्र, भारत
8	पीले रंग की कोमातसु पीसी 200 का चालक /pocland machine pile clour ki komatsu pc 200 driver			1. अजात, खैरलोजी, बालाघाट, मध्य प्रदेश, भारत
9	पोक्लेड मशीन नीला हरा कलर कोवेलको कंपनी 220 एक्सडीएलएससी का चालक /pocland michine nila hra			1. अजात, खैरलोजी, बालाघाट, मध्य प्रदेश, भारत

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

	colour cobalco compney ka driver			
10	पोकलैंड मशीन कोमातसु कंपनी का टेटएमओ पीले रंग की वाहन चालक/pocland machine komatasu compney tantmo pile rang ka driver			1. अजात, खैरलॉजी, बालाघाट, मध्य प्रदेश, भारत
11	पोकलैंड रोबेक्स 215 पीला काला रंग हुडई कंपनी का चालक /pocland robax 215 pila kala ran hundai compney ka driver			1. अजात, खैरलॉजी, बालाघाट, मध्य प्रदेश, भारत
12	जेसीबी इको पिला कलर का बिना नंबर का वाहन चालक /jcb eco pila clour ka bina nomber ka driver			1. अजात, खैरलॉजी, बालाघाट, मध्य प्रदेश, भारत
13	पोकलैंड मशीन नीला कलर का कोबेल्को कंपनी का माडल नंबर एसके 220 एक्सडी का ड्राइवर/poland machine nila calour ka cobalco compner model no sk220 xd 10 ka driver			1. अजात, खैरलॉजी, बालाघाट, मध्य प्रदेश, भारत

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

--	--	--	--

14	पोकलेड मशीन एलआईयुजी ओएनजी लिखा हुआ 921 डीआई पीला कलर का चालक /poland machine liug ong likha hua 921 di pila colour ka driver			1. अज्ञात, खैरलाँजी, बालाघाट, मध्य प्रदेश, भारत
----	---	--	--	---

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मैं थाना खैरलाँजी कार्य सड़ने के पद पर पदस्थ हूँ आज दिनांक 04.01.2024 को मुकेश वाडिवे खनिज निरीक्षक तह.खैरलाँजी जिला बालाघाट ने थाना हाजिर आ एक लिखित आवेदन पत्र पेश किये जिसे थाना खैरलाँजी के लोकल शिकायत क्रमांक थाना/खैर/लो.शिका./05/2024 है अराज्य कर अवलोकन किया अवलोकन से वाहन चालको के विरुद्ध अपराध धारा 379 ताहि, मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 20(1), 20(2), 20(3) का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जो लिखित आवेदन पत्र नकल जैल है -प्रति, थाना प्रभारी थाना खैरलाँजी जिला बालाघाट विषय:- ग्राम डोंगरिया तहसील खैरलाँजी जिला बालाघाट में खनिज रेत के अवैध उत्खनन परिवहन भंडारण में संलिप्त पोक्लेड/हाईवा/ट्रक एवं जेसीवी के चालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने बाबद् महोदय, विषयान्तर्गत लेख है कि जिला बालाघाट की संपूर्ण रेत खदाने मध्यप्रदेश राज खनिज निगम के पक्ष में अवधि 01.11.23 से 31.10.2026 तक अनुबंधित होकर एम.डी.ओ. श्री राजेश पाठक वार्ड न.15 बैहर रोड बालाघाट के पक्ष में वर्तमान में 65 रेत खदाने नियिदा में दी गई है जिसमें मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के अधिकारी पूरनलाल लक्षकार कनिष्ठ प्रबंधक(सामान्य) बालाघाट जिले में पदस्थ है आज दिनांक 04.01.2024 को निरीक्षण के दौरान ग्राम चिचोली में स्वीकृत रेत खदान के पास एवं ग्राम डोंगरिया में वावनथडी नदी में खनिज रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण में (01)वाहन क्रमांक एम.एच.31 एफ.सी. 7500 वाहन चालक संतोष पन्डे पिता टेकराम पन्डे निवासी मानकापुर तहसील नागपुर जिला नागपुर महाराष्ट्र, (02)वाहन एम.एच.40 सी.डी. 9997 चालक शफील खान पिता धतील खान निवासी ग्राम मच्छीपुल कामठी तहसील व जिला नागपुर महाराष्ट्र, (03) वाहन क्रमांक एम.पी.28 एच. 0795 वाहन चालक सदीप पिता सीताराम कामुने निवासी सिदेवानी तालुका सावनेर जिला नागपुर महाराष्ट्र, (04) वाहन क्रमांक एम.एच.49 बी.जेड 0152 वाहन चालक आसा अहमद पिता श्री मोहम्मद हवीब निवासी कामठी तहसील

कामठी जिला नागपुर महाराष्ट्र, (05) वाहन क्रमांक एम.एच. 19 सी.वाये. 1674 वाहन चालक सादिक अली पिता अब्दुल मजीद ग्राम पारसिवनी कामठी कालरी तहसील नागपुर जिला नागपुर महाराष्ट्र, (06) वाहन क्रमांक एम.एच. 40 सी.क्यू. 1804 वाहन चालक किशोर गजभिये पिता आदिनाथ गजभिये निवासी विच्छुटेकडी अमरावती जिला अमरावती महाराष्ट्र, (07) वाहन एम.एच. 49 वी.जेड 2152 वाहन चालक अवेश खान पिता अजीज खान निवासी यशोदरा घौक पीली नदी तहसील नागपुर जिला नागपुर एंव (08) पोकलेड मशीन पीले कलर की के.ओ.एम.ए.टी.एस.यु.(पीसी 210) वाहन चालक मौके से फरार (09) वाहन पोकलेड मशीन नीला हरा कलर कोबेल्को कंपनी -220 एक्स.डी.एल.सी. वाहन चालक मौके से फरार (10) पोकलेड मशीन कोमातसु कंपनी का (टेंट.एम.ओ. पीले रंग का) वाहन चालक मौके से फरार, (11) वाहन पोकलेड मशीन रोबेक्स 215 पीला काला रंग हुंडई कंपनी वाहन चालक मौके से फरार (12), वाहन जेसीबी (ईको) पीला कलर का बिना नंबर की वाहन चालक मौके से फरार, (13) वाहन पोकलेड मशीन नीला कलर का कोबेल्को कंपनी का माडल नंबर एसके 220 एक्स.डी-10 वाहन चालक मौके से फरार (14) वाहन पोकलेड मशीन एल.आई.यु.जी.ओनजी लिखा हुआ 921 डीआई पीला कलर का वाहन चालक मौके से फरार हो गये है। उक्त पोकलेड मशीन एंव जेसीबी को मौके से लावारिस जप्त किया गया। अतः उक्त पोकलेड/आईवा/टुक एंव जेसीबी के चालको के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा करें। अंग्रेजी भाषा में अस्पष्ट हस्ताक्षर दिनांक 01.01.2024 एंव पद मुदा मुकेश बाडिवे खनि.निरीक्षक जिला बालाघाट मुकेश बाडिवे खनिज निरीक्षक तह.खैरलाजी जिला बालाघाट

13. **Action taken:** Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है।) or (या)

(1) **Registered the case and took up the investigation:**

(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** UMESH KUMAR DIYEWAR

No. (सं.): 888

Rank (पद): OFFICIATING ASST SUB INSPECTOR

to take up the investigation

(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):**

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-1 (एकीकृत जाँच फार्म -1)

or (के कारण इंकार किया या)
(4) Transferred to P.S.(थाना):


District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई



FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम): CHANDRA SHEKHAR CHOUDHARY

Rank (पद): सउनि-कार्यवाहक

Signature of Officer In charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Jaysiram BARDEY

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court.

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(सदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

ANNEXURE R-4

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): बालाघाट P.S. (थाना): खैरलॉजी
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0256 Year (वर्ष): 2025
Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 30/08/2025 18:19 बजे
2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एँ))
- | | | |
|---|--------------------------------------|--------|
| 1 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 303(2) |
| 2 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 317(5) |
| 3 | खान अधिनियम, 1952 | 4 |
| 4 | खान अधिनियम, 1952 | 21 |
| 5 | मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1998 | 53(1) |
3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
- | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Day (दिन): | Date From (दिनांक से): | Date To (दिनांक तक): |
| दरमियानी दिन | 02/05/2024 | 13/12/2024 |
| Time Period (समय अवधि): | Time From (समय से): | Time To (समय तक): |
| | 06:00 बजे | 18:00 बजे |
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 30/08/2025
Time (समय): 17:56 बजे
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 015
Date & Time (दिनांक और समय): 30/08/2025 18:05
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

District:

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 16 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): स्वीकृत रेत घाट, ग्राम चिचोली मोवाड

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनादाता):

(a) Name (नाम): खनिज निरीक्षक सुरेश कुमार कुलस्ते कि ओर से कार्य प्रभार नवनीत कुमरे

(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1985

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)

1

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	थाना खैरलांजी, खैरलांजी, बालाघाट, मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	थाना खैरलांजी, खैरलांजी, बालाघाट, मध्य प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय): पुलिस अधिकारी

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9424925422

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	रमेश दुवे /RAMESH			1. वार्ड नं 15, बैहर रोड, बालाघाट, बालाघाट कोतवाली, बालाघाट,

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

DHUBE			मध्य प्रदेश, भारत
-------	--	--	-------------------

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

कम्प्यूटर आवेदन पेश करने पर

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	अन्य	अन्य परिवहन	आरोपी द्वारा स्वीकृत रेत खदान से अवैध रूप उत्खनन करना	7,65,00,000.00

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में): 7,65,00,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मै थाना खैरलांजी में थाना एचसीएम के पद पर पदस्थ हूँ। आज दिनांक 30.08.2025 को आवेदक खनिज निरीक्षक सुरेश कुमार कुलस्ते पिता श्री नामसिंह कुलस्ते उम्र 38 निवासी कार्या. कलेक्टर (खनिज शाखा जिला बालाघाट) द्वारा एक लिखित कम्प्यूटर टाईपिंग आवेदन पत्र पेश किया जिसमें आरोपी रमेश दुबे निवासी वार्ड नं.15 वैहर रोड बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा स्वीकृत रेत खदान से अवैध रूप उत्खनन करने के संबंध में आवेदन पेश किया आवेदन का अवलोकन पर थाना खैरलांजी के लोकल शिकायत रजिस्टर क्र. 242/2025, दिनांक 30.08.2025 पर दर्ज कर आरोपी रमेश दुबे निवासी वार्ड नं.15 वैहर रोड बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.) के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 303(2), 317(5) BNS, 4/21 खान खनिज अधि 1952, 53 (1) म.प्र. गौड़ खनिज नियम 1996 का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आवेदन पत्र नकल जेल है- प्रति, थाना प्रभारी थाना खैरलांजी, जिला-बालाघाट (म.प्र.) विषय :- ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र पर स्वीकृत रेत खदान में मान. एन.जी.टी. के प्रकरण क्रमांक 1262/2024 की जच टीप द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उक्त स्वीकृत क्षेत्र के बाहर क्षेत्र खनिज रेत का अवैध उत्खननकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज/विधिसंगत कार्यवाही करने वावत्। संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 660 दिनांक 28.08.2025 00--उपरोक्त विषयायतर्गत संदर्भित आदेश के पालन में लेख है कि ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में तत्समय दिनांक 02.05.2024 से दिनांक 13.12.2024 के मध्य एम.डी.ओ. मेसर्स आर.जी.एसोसियेट को स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र से बाहर क्षेत्र में अवैध उत्खनन किये जाने वावत् मान. एन.जी.टी. सेंट्रल जोन नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 1262/2024, में दिनांक 20.11.2024 द्वारा पारित आदेश अनुसार गठित संयुक्त समिति द्वारा उक्त शिकायत का दिनांक 13.12.2024 को निरीक्षण किया गया। उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा संयुक्त जच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई प्रस्तुत रिपोर्ट निम्नानुसार आरोप आक्षेपित किये गये जो निम्नानुसार है :
-1.The geo-cordinate given in mining plan and the physical pillars co-ordinate as recorded during field visit were mapped on the Google Earth Software and found that the area where the Mine Developer Operator (MDO) has crected mine pillars is not as per the mine lease area recorded in Mining plan Environmental clearance. 2 The geo-graphical location of the actual mine boundary as per approved mine plan and the boundary found defined during the field visit is as .) tabulated below.

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Boundary Points Geo-coordinates of the mine lease in chicholi as per approved mine Plan Geo-coordinates of the pillars found erected during field visit
on Latitude Longitude Latitude Longitude A213151.33N795207.01E213152.
56N795231.26E213153.54N795155.78E213147.53N795229.79E213148.
75N795154.73E213146.80N795215.28E213143.93N795206.13E213151.
11N795215.77E3. On the day of field visit i.e. 13.12.2024, it was clearly evident that apart from the mining in the site at which pillars have been erected, mining has also been done in the area coordinates as given in the mine plan and it seems efforts have been made before 1-2 days to level this lease area by using machinery to hide the mining signs. The marks of tractor other vehicles tyres were clearly visible during site visit. The committee asked to Sh Khushil Kumar Muhaare, Patwari, Muvaad (Additional Charge of Chicholi village) to carry out a tentative measurement of the area wherein excavation was carried out as claimed by the villagers. The measurement states that on the bank, the average height of the sand bed was observed 1.67 m varying from 1 to 3 m. The levelled area upto the bank was spread in average width of 120 m and in the total length of 510 M. उक्तानुसार ग्राम चिचौली तह. खैरलाजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र के बाहर बिन्दु क्रमांक 03 अनुसार एम.डी.ओ. द्वारा खनिज रेत का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है, जो कि जच टीम के माप अनुसार लंबाई लगभग 510 मी., चौड़ाई लगभग 120 मी. एवं औसतन गहराई 01 मी. होना पाया गया, अवैध उत्खनित खनिज रेत की कुल मात्रा 61200 घ.मी. होता है। उक्त के संबंध में एम.डी.ओ. को कारण बताओ सूचना पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक 614 दिनांक 08.08.2025 को जारी किया गया था। कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, जवाब प्रस्तुत न किये जाने के कारण एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 660 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार एम.डी.ओ. के द्वारा किया गया उक्त कृत्य म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम) 2022 के उपनियम के नियम 18 के प्रावधानों के उल्लंघन होने के कारण अवैध उत्खनन का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कुल उत्खनित खनिज रेत की रायल्टी राशि रू. 76,50,000.00 प्रथम दृष्टया शासन की राजस्व की चोरी मेसर्स आर.जी. एण्ड एसोसियेटस (माइन डेवलपर कम ऑपरेटर) अधिकृत श्री रमेश दुबे निवासी- वार्ड नं.15 वैहर रोड जिला वालाघाट (म.प्र.) द्वारा किया जाना प्रतीत होता है। अतः संदर्भित पत्र अनुसार अवैध उत्खननकर्ता मेसर्स आर.जी. एण्ड एसोसियेटस (माइन डेवलपर कम ऑपरेटर) अधिकृत श्री रमेश दुबे निवासी- वार्ड नं.15 वैहर रोड जिला वालाघाट (म.प्र.) के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज/विधिसंगत कार्यवाही करने का कष्ट करें। हस्ताक्षर अंग्रेजी में अपस्ट खनि निरीक्षक जिला-वालाघाट (म.प्र.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है ।) or (या)

(1) Registered the case and took up the investigation:
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): CHANDRA SHEKHAR CHOUDHARY
No.(सं.): 626

Rank (पद): OFFICIATING ASST SUB INSPECTOR

to take up the investigation

(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):


District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी ।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई


FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम): NAVNEET KUMRE

Rank (पद): प्रधान आरक्षक-कार्यवाहक

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): RAM SINGH PATEL

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): 11

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म)	Build (बनावट)	Height (cms.)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					
Deformities/ 8	Teeth 9	Hair (बाल) 10	Eyes (आँखें) 11	Habit(s) 12	Dress Habit(s) (पहनावा) 13	
Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)				Others (अन्य)	
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)		
14	15	16	17	18	19	20

प्रति,

थाना प्रभारी

थाना खैरलांजी, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

विषय :- ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र पर स्वीकृत रेत खदान में मान. एन.जी.टी. के प्रकरण क्रमांक 1262/2024 की जॉच टीप द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उक्त स्वीकृत क्षेत्र के बाहर क्षेत्र खनिज रेत का अवैध उत्खननकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज/विधिसंगत कार्यवाही करने बावत।

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 660 दिनांक 28.08.2025

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के पालन में लेख है कि ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में तत्समय दिनांक 02.05.2024 से दिनांक 13.12.2024 के मध्य एम.डी.ओ. मेसर्स आर.जी.एसोसियेट को स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र से बाहर क्षेत्र में अवैध उत्खनन किये जाने बावत मान. एन.जी.टी. सेंट्रल जोन नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 1262/2024, में दिनांक 20.11.2024 द्वारा पारित आदेश अनुसार गठित संयुक्त समिति द्वारा उक्त शिकायत का दिनांक 13.12.2024 को निरीक्षण किया गया। उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा संयुक्त जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत रिपोर्ट निम्नानुसार आरोप आक्षेपित किये गये। जो निम्नानुसार है :- 1. The geo-coordinate given in mining plan and the physical pillars' co-ordinate as recorded during field visit were mapped on the Google Earth Software and found that the area where the Mine Developer Operator (MDO) has erected mine pillars is not as per the mine lease area recorded in Mining plan & Environmental clearance. 2& The geo-graphical location of the actual mine boundary as per approved mine plan and the boundary found defined during the field visit is as .) tabulated below.

Boundary Points	Geo-coordinates of the mine lease in chicholi as per approved mine Plan		Geo-coordinates of the pillars found erected during field visit on	
	Latitude	Longitude	Latitude	Longitude
A	21°31'51.33"N	79°52'07.01"E	21°31'52.56"N	79°52'31.26"E
B	21°31'53.54"N	79°51'55.78"E	21°31'47.53"N	79°52'29.79 E
C	21°31'48.75"N	79°51'54.73"E	21°31'46.80"N	79°52'15.28"E
D	21°31'46.96"N	79°52'06.13"E	21°31'51.11"N	79°52'15.77 E

3. On the day of field visit i.e. 13.12.2024, it was clearly evident that apart from the mining in the site at which pillars have been erected mining has also been done in the area coordinates as given in the mine plan and it seems efforts have been made before 1-2 days to level this lease area by using machinery to hide the mining signs. The marks of tractor & other vehicles tyres were clearly visible during site visit. The committee asked to Sh Khushil Kumar Muhaare, Patwari, Muvaad (Additional Charge of Chicholi village) to carry out a tentative measurement of the area wherein excavation was carried out as claimed by the villagers. The measurement

states that on the bank, the average height of the sand bed was observed 1.67 m varying from 1 to 5 m. The levelled area upto the bank was spread in average width of 120 m and in the total length of 510 M.

उक्तानुसार ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र के बाहर बिन्दु क्रमांक 03 अनुसार एम.डी.ओ. द्वारा खनिज रेत का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है, जो कि जॉच टीम के माप अनुसार लंबाई लगभग 510 मी., चौड़ाई लगभग 120 मी. एवं औसतन गहराई 01 मी. होना पाया गया, अवैध उत्खनित खनिज रेत की कुल मात्रा 61200 घ.मी. होता है। उक्त के संबंध में एम.डी.ओ. को कारण बताओं सूचना पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक 614 दिनांक 08.08.2025 को जारी किया गया था। कारण बताओं सूचना पत्र का जबाव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, जबाव प्रस्तुत न किये जाने के कारण एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 660 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार एम.डी.ओ. के द्वारा किया गया उक्त कृत्य म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम) 2022 के उपनियम के नियम 18 के प्रावधानों के उल्लंघन होने के कारण अवैध उत्खनन का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कुल उत्खनित खनिज रेत की रायल्टी राशि रु. 76,50,000.00 प्रथम दृष्टया शासन की राजस्व की खाते मेसर्स आर.जी. एण्ड एसोसियेटस (माइन डेवलपर कम ऑपरेटर) अधिकृत श्री रमेश दुबे निवासी- वार्ड नं. 15 बैहर रोड जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा किया जाना प्रतीत होता है।

अतः संदर्भित पत्र अनुसार अवैध उत्खननकर्ता मेसर्स आर.जी. एण्ड एसोसियेटस (माइन डेवलपर कम ऑपरेटर) अधिकृत श्री रमेश दुबे निवासी- वार्ड नं. 15 बैहर रोड जिला बालाघाट (म.प्र.) के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज/विधिसंगत कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

खनि निरीक्षक

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

ANNEXURE R-3

26 R-3



प्राधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411005.
H. O. 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005

Account Details					
Account No	60383418162	Account Open Date	24/03/2021	Nomination Flag	N
Account Type	SBChqMahabank Govt Zero BalSch	Nominee Name	NA		
Mode of Operation	AS PER MANDATE	Total Balance	15,38,60,270.95	Available Balance	15,38,60,270.95
MAB Required		MAB Maintained	65540349.671		
Account Holder Names	M P STATE MINING CORPORATION			Primary GSTIN	NA

Customer Details					
Name	M P STATE MINING CORPORATION			CIF Number	40276312803
Mobile	xxxxxxxxx10	Email	axxxxxxxxxx@gmail.com		
KYC Complied	Y	KYC Expiry Date	27/03/2027	CKYC ID	Not Available
Primary ID Type	LETTER FROM COMPETENT AUTHO	Date of Birth	19xxxxxx62	Statement Date	Thu Aug 28 18:05:26 GMT+05:30 2025
Address	PARYAVAS BHAWAN BLOCK NO 1 A, BLOCK NO 1 A2ND FLOOR JELROAD, ARERA HILLS, BHOPAL, MADHYA PRADESH, 462001				

Home Branch Details					
Branch No	00753	Branch Name	BHOPAL T T NAGAR	IFSC	MAHB0000753
Phone No	2554477	Email Id	bom753@mahabank.co.in	GSTIN	23AACCB0774B5Z8
Address	29BHADBHAD RD T.T. NAGAR, MAIN RD BHOPAL, BHOPAL, MADHYA PRADESH, 462003				

A. Statement for Account No 60383418162 from 18/07/2025 to 18/07/2025


Sr No	Date	Particulars	Cheque /Reference No	Debit	Credit	Balance	Channel
1	18/07/2025	GS-180720255GSTTAX 25072300066249 TRANSFER TO 60285510225 TO BANK OF MAHARASHTRA GST POOL ACCOUNT		21,17,05,008.00	-	1,16,24,154.23	Internet Banking
2	18/07/2025	ONLINE Village map of chicholi DBOME3U0QRWLG1 TRANSFER TO 60037971586 TO BOM ONI INF PAYMENT POOL ACCOUNT		5,134.80	-	1,16,19,019.43	Internet Banking
3	18/07/2025	ONLINE jio internet bill 50718705243028775937 TRANSFER TO 60147578828 TO BOM ONLINE PAYMENT POOL ACCOUNT		1,03,249.98	-	1,15,15,769.45	Internet Banking

B. Summary for Account No 60383418162 from 18/07/2025 to 18/07/2025

Total Transaction Count	3	Opening Balance	22,33,29,162.23
Total Debit Count	3	Total Debit Amount	21,18,13,392.78
Total Credit Count	0	Total Credit Amount	0.00
		Closing Balance	1,15,15,769.45

*** END OF STATEMENT**

- All the amounts in the Statement are in INR
- This is a System Generated Statement. No Signature is Required.
- The Customer is advised to keep their KYC updated periodically with Officially Valid Documents (OVDs) as part of regulatory requirements. Please update your Aadhaar, if it is more than 10 year old.
- Please update your PAN number in your Account, if not done so far.



प्राधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411005.
H. O. 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005

All India Toll Free Number : 1800-233-4526 / 1800-102-2636 Website : www.bankofmaharashtra.in

- <https://twitter.com/mahabank>
- <https://www.facebook.com/mahabank>
- <https://wa.me/+917066036640>
- <https://www.youtube.com/channel/UCevaMPXN3n3aHZqbB14sd>
- <https://www.linkedin.com/company/mahabank>
- <https://www.instagram.com/mahabank/>
- <https://in.pinterest.com/mahabank/>





क्रमांक/1224 / टा.फो./2023

बालाघाट, दिनांक 21/11/2023

कार्यवाही विवरण

जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक दिनांक 21.11.2023 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 21.11.2023 को दोपहर 12:00 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में खनिज विभाग की जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक कलेक्टर बालाघाट डॉ गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

- | | |
|---|--|
| 1. श्री समीर सौरभ | पुलिस अधीक्षक, बालाघाट |
| 2. श्री अभिनव पल्लव | वनमण्डलाधिकारी उत्तर सा. वनमण्डल बालाघाट |
| 3. श्री आर.के खातरकर | जिला खनिज अधिकारी, जिला बालाघाट |
| 4. सर्व खनिज निरीक्षक | खनिज शाखा, कलेक्टोरेट बालाघाट |
| 5. प्रतिनिधि, जिला परिवहन अधिकारी बालाघाट | |

म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल के पत्र क्र. एफ19-23/2005/12/2 दिनांक 22.03.2006 एवं पत्र क्रमांक 1029 भोपाल दिनांक 13.03.2023 में दिये गये निर्देशानुसार खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण रखने बाबत जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

1. खनिजों के परिवहन में उपयोग किये जाने वाहनो पर दुर्घटना रोकने के दृष्टिगत रखते हुये सभी वाहनो में स्पीड गर्वनर एवं रेडियम लगाये जाने का निर्णय लिया जाकर खनिज परिवहन में संलग्न वाहनो की सूची उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-जिला यातायात प्रभारी, जिला खनिज अधिकारी, परिवहन अधिकारी)
2. जिला अंतर्गत खनिज रेत की नवीन चिन्हित खदानों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा की गई, जिन प्रस्तावित रेत खदानों की समस्त एन.ओ.सी. प्राप्त है, उन्हे प्रस्तुत किये जाने निर्देशित किया गया। तथा ग्राम नोनसा तह. खैरलांजी, ग्राम सतोना तह. खैरलांजी, ग्राम मासुलखापा तह. तिरोडी एवं ग्राम खैरी तह. बालाघाट में संबंधित ग्राम सभा की आपत्ति है। संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच/सचिव को नोटिस जारी कर समक्ष में उपस्थित होकर आपत्ति के संबंध में जवाब प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं जिला खनिज अधिकारी)
3. जिला अंतर्गत संचालित शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोगित गौण खनिज की नियमानुसार खनिज विभाग/संबंधित निर्माण विभाग से अनुज्ञा/अनुमति/अनापत्ति प्राप्त किये जाने के पश्चात् ही कार्य किये जाने तथा उपयोगित गौण खनिजो की जमा रायल्टी के संबंध में जानकारी समय-सीमा में उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-सर्व संबंधित निर्माण विभाग एवं जिला खनिज अधिकारी)
4. वन विकास निगम लामता परियोजना, राजस्व विभाग तथा खनिज विभाग के अमले द्वारा तहसील बालाघाट अंतर्गत ग्राम मगरदर्रा-पोटियापाट के वन क्षेत्रों में खनिज रेत के अवैध भण्डारण के निर्मित प्रकरण के संबंध में वन विकास निगम लामता के संबंधित अधिकारी से दूरभाष पर चर्चा की गई। उक्त निर्मित प्रकरण को निराकरण हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट को प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। (कार्यवाही-वन विभाग एवं जिला खनिज अधिकारी)
5. वित्तीय वर्ष 2023-24 में दर्ज प्रकरण, प्राप्त अर्थशास्ति तथा जिले में प्राप्त कुल राजस्व का विगत वित्तीय वर्ष 2022-23 में दर्ज प्रकरण, प्राप्त अर्थशास्ति तथा जिले में प्राप्त कुल राजस्व से तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। (कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)
अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(डॉ गिरीश कुमार मिश्रा)
कलेक्टर बालाघाट


//2//

1229-1
/टा.फो./2023

बालाघाट, दिनांक 24/11/2023

तिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, प्रशासन तथा खनिकर्म 29-ए अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी (द/उ) सा0, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. क्षेत्र संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व जिला मण्डला की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर म.प्र. की ओर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. उप वन मण्डलाधिकारी (द/उ) सामान्य, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. जिला परिवहन अधिकारी, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. सर्व तहसीलदार जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


खनि अधिकारी
जिला-बालाघाट

कार्यवाही विवरण

TU

जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक दिनांक 14.10.2023 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 14.10.2023 को दोपहर 01:00 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में खनिज विभाग की जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक कलेक्टर बालाघाट डॉ गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. श्री समीर सौरभ | पुलिस अधीक्षक, बालाघाट |
| 2. श्रीमति मीना कुमारी मिश्रा | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सा. वनमण्डल बालाघाट |
| 3. श्री डी.एस. रणदा | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालाघाट |
| 4. श्री नरेश यादव | संयुक्त संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व |
| 5. श्री आर.के खातरकर | जिला खनि अधिकारी, जिला बालाघाट |
| 6. श्री प्रशांत साकरे | उप वनमण्डलाधिकारी उत्तर सा. वनमण्डल बालाघाट |
| 7. श्रीमति विनीता फूलवेले | उप वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सा. वनमण्डल बालाघाट |
| 8. सर्व खनि निरीक्षक | खनिज शाखा, कलेक्टोरेट बालाघाट |

म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल के पत्र क्र. एफ19-23/2005/12/2 दिनांक 22.03.2006 एवं पत्र क्रमांक 1029 भोपाल दिनांक 13.03.2023 में दिये गये निर्देशानुसार खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण रखने बाबत जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

1. खनिजों के परिवहन में उपयोग किये जाने वाहनो पर दुर्घटना रोकने के दृष्टिगत रखते हुये सभी वाहनों में रेडियम लगाये जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में समस्त थाना निरीक्षकों एवं पट्टेदारों को पत्र जारी किये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-पुलिस अधीक्षक, जिला खनिज अधिकारी, परिवहन अधिकारी)
2. जिला अंतर्गत खनिज रेत की नवीन चिन्हित खदानों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा की गई, जिन प्रस्तावित रेत खदानों की समस्त एन.ओ.सी. प्राप्त है, उन्हें प्रस्तुत किये जाने निर्देशित किया गया। तथा ग्राम नोनसा तह. खैरलांजी, ग्राम सतोना तह. खैरलांजी, ग्राम मासुलखापा तह. तिरोडी एवं ग्राम खैरी तह. बालाघाट में संबंधित ग्राम सभा की आपत्ति है। अतः संबंधित ग्राम पंचायतों से निर्वाचन उपरांत अनापत्ति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है।
(कार्यवाही-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं जिला खनिज अधिकारी)
3. पूर्व में आयोजित जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति बैठक दिनांक 13.05.2023 में दिये गये निर्देशानुसार जिला अंतर्गत खनिज रेत की 60 खदानों में अनुमोदित मात्रा पूर्व अनुमोदित खनन योजना में अनुमोदन मात्रा से कम पायी गई एवं 01 खदान में यथा स्थिति है, जिसे पुनः परीक्षण कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)
4. जिले में खनिज रेत की स्वीकृत खदानों का भौतिक सत्यापन कर अक्षांश-देशांश के आधार पर मुनारा स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये है।
(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)

जिला अंतर्गत संचालित शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोगित गौण खनिज मिट्टी/मुरुम की नियमानुसार खनिज विभाग/संबंधित निर्माण विभाग से अनुज्ञा/अनुमति/अनापत्ति प्राप्त किये जाने के पश्चात् ही कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-संबंधित निर्माण विभाग एवं जिला खनिज अधिकारी)

6. तहसील बालाघाट अंतर्गत ग्राम रोशना एवं तुमडीटोला के वन क्षेत्रों में खनिज रेत के अवैध उत्खनन की जांच हेतु वन विभाग को पत्र जारी करने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-वन विभाग एवं जिला खनिज अधिकारी)
7. जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारण के लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)
8. प्रत्येक माह के प्रथम समय-सीमा बैठक के पश्चात् खनिज विभाग की जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये।
(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



(डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा)

कलेक्टर बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 20/10/2023

पृ.क्र / 1156-A / टा.फो. / 2023

प्रतिलिपि :-

1. पुलिस अधीक्षक, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वन मण्डलाधिकारी (द/उ) सामान्य, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्र संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व जिला मण्डला की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर म.प्र. की ओर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. उप वन मण्डलाधिकारी (द/उ) सामान्य, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. जिला परिवहन अधिकारी, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. सर्व तहसीलदार जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


खनि अधिकारी
जिला-बालाघाट

क्रमांक / 219 / टा.फो. / 2023

बालाघाट, दिनांक 3 / 3 / 2023

कार्यवाही विवरण

जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक दिनांक 01.03.2023 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 01.03.2023 को प्रातः 11:00 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में खनिज विभाग की जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक कलेक्टर बालाघाट डॉ गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. श्री समीर सौरभ | पुलिस अधीक्षक, बालाघाट |
| 2. श्रीमति मीना कुमारी मिश्रा | वन मण्डलाधिकारी दक्षिण सा. वनमण्डल बालाघाट |
| 3. अभिनव पल्लव | वन मण्डलाधिकारी उत्तर सा. वनमण्डल बालाघाट |
| 4. श्री निथ्यानथम एल. | उप वन मण्डलाधिकारी दक्षिण सा. वनमण्डल बालाघाट |
| 5. श्री अनिमेष गढपाल | जिला परिवहन अधिकारी, बालाघाट |
| 6. श्री सोहन सलामे | जिला खनिज अधिकारी |
| 7. सर्व खनि निरीक्षक | खनिज शाखा, कलेक्टोरेट बालाघाट |
| 8. मानचित्रकार | खनिज शाखा, कलेक्टोरेट बालाघाट |

म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल के पत्र क्र. 2038 दिनांक 15.02.2023 में दिये गये निर्देशानुसार खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण रखने तथा भार क्षमता से अधिक खनिज परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने बाबत जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये गये-

1. जिला अन्तर्गत अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के रोकथाम हेतु खनिज कार्यालय में पदस्थ खनि निरीक्षको को प्रति माह 10 प्रकरण बनाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया।

(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)

2. जिला अन्तर्गत खनिज रेत की कुल 68 खदाने (सूची संलग्न) स्वीकृत है। उक्त खदाने की नीलामी वर्ष 2019-20 में ई-निविदा के माध्यम से म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के द्वारा किया गया। वर्तमान में 68 खदानों में से 59 खदाने वैधानिक समितियां प्राप्त होने से खदानों का संचालन म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है, शेष 09 खदानों (सूची संलग्न) में आवश्यक अनुमतियां प्राप्त नहीं होने से खदाने असंचालित है। समिति द्वारा सभी खदानों का भौतिक सत्यापन एवं के.एम.एल. फाईल अपडेट एक सप्ताह में कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)

3. खनिज रेत के खदानों की पर्यावरणीय अनुमति के संबंध में चर्चा की गई। चर्चा में यह निर्णय लिया गया कि खनिज उपलब्धता वाले क्षेत्रों में छोटे-छोटे खंड बनाकर खदान चिन्हांकित कर नवीन खदान घोषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)

4. खनिजों के परिवहन पर चर्चा के दौरान समिति द्वारा सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि खनिजों के परिवहन में उपयोग किये जाने वाले वाहनों पर दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुये स्पीड लिमिट 50 कि.मी. प्रतिघंटा रखा जावे एवं वाहनों में स्पीड गर्वनर लगाये जाने हेतु वाहन मालिकों को निर्देश दिया जावे तथा जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि समय-समय पर ऐसे वाहनों की संयुक्त जांच की जाए एवं उक्त निर्देशों का 15 दिवस के अन्दर पालन कराया जावे।

(कार्यवाही- परिवहन अधिकारी, खनिज अधिकारी)

जिला अंतर्गत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की स्पीड लिमिट जांच करने की आवश्यकता पड़ने पर कंजई, मोवाड व रजेगांव में स्थान चिन्हांकित कर खनिज संबंधी जांच हेतु बेरियर एवं रेत नाका स्थापित किया जाये जिसमें खनिज, पुलिस तथा परिवहन विभाग का अमला मुस्तैद रहे।

(कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक, खनिज अधिकारी, परिवहन अधिकारी)

6. जिले में खनिज के अवैध भण्डारणों की जांच कर प्रकरण कायम किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)
7. चर्चा के दौरान जिले में खनिज मैग्नीज ओर की संपूर्ण बंद खदानों की सूची के साथ उनके शासन को भेजे गये प्रस्ताव तथा शासन के दिशा निर्देश के साथ पृथक से नोटशीट पर रखे जाने तथा स्वीकृत खनिज रेत भण्डारण अनुज्ञापति की सूची उपलब्ध कराते हुये रेत भंडारण का गूगल मैप पर चिन्हित कर खदान से दूरी दर्शाते हुये गूगल मैप में तैयार कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)
8. चर्चा के दौरान जिले में संचालित खनिज रेत, मैग्नीज, डोलोमाईट, पत्थर आदि की निजी खदानों का सीमांकन कराये जाने तथा के.एम.एल फाईल निर्मित कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी, संबंधित तहसीलदार)

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।




(डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा)

कलेक्टर बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 03/03/2023

प.क्र./219/A
/टा.फो./2023

1. पुलिस अधीक्षक, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वन मण्डलाधिकारी (द/उ) सामान्य, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उप वन मण्डलाधिकारी (द/उ) सामान्य, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर म.प्र. की ओर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला परिवहन अधिकारी, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सर्व तहसीलदार जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


03/03/2023
प्रभारी अधिकारी

(खनिज शाखा)

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

कार्यवाही विवरण

जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक दिनांक 13.05.2023 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 13.05.2023 को प्रातः 11:00 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में खनिज विभाग की जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक कलेक्टर बालाघाट डॉ गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. श्री समीर सौरभ | पुलिस अधीक्षक, बालाघाट |
| 2. श्री प्रशांत साकरे | उप वन मण्डलाधिकारी उत्तर सा. वनमण्डल बालाघाट |
| 3. श्री अनिमेष गढपाल | जिला परिवहन अधिकारी, बालाघाट |
| 4. श्री सोहन सलामे | जिला खनिज अधिकारी |
| 5. सर्व खनि निरीक्षक | खनिज शाखा, कलेक्टोरेट बालाघाट |
| 6. मानचित्रकार | खनिज शाखा, कलेक्टोरेट बालाघाट |

म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल के पत्र क्र. 2038 दिनांक 15.02.2023 एवं दिनांक 01.03.2023 में आयोजित जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति में दिये गये निर्देशों के संबंध में जिले में पूर्व संचालित रेत खदानों की नवीन वैधानिक अनुमतियां प्राप्ति हेतु खनन योजना तैयार किये जाने की कार्यवाही बाबत जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

1. जिला अन्तर्गत खनिज रेत की नवीन चिन्हित खदानों की स्वीकृति हेतु जिस ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है उन खदानों का राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण कर ग्राम पंचायत द्वारा उल्लेखित आपत्तियों का उचित समाधान किया जाकर ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही संबंधित एस.डी.एम. (रा.), जिला खनिज अधिकारी एवं संबंधित ग्राम पंचायत)

2. बैठक के दौरान ग्राम नोनसा तह. खैरलांजी एवं पिपलगांवखुर्द तह. किरनापुर के सरपंच/सचिव अनुपस्थित रहे, अनुपस्थित सरपंच/सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट)

3. अनुमोदित खनन योजनाओं के अयलोकन में पाया गया कि कुछ खदानों में अनुमोदित मात्रा पूर्व अनुमोदित खनन योजना में अनुमोदित मात्रा से कम पायी गई एवं कुछ खदानों में यथास्थिति है. इस संबंध में खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि सिया के नई गाईडलाइन अनुसार कुल रिजर्व मात्रा का 60 प्रतिशत माईनेबल मात्रा एवं खदान की गहराई कम होने के कारण नवीन अनुमोदित खनन योजना में मात्रा कम पायी गई है, जिसे पुनः परीक्षण कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)

4. खनिज रेत की स्वीकृत खदानों का भौतिक सत्यापन कर अक्षांश देशांश के आधार पर मुनारा स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)

5. खनिजों के परिवहन में उपयोग किये जाने वाले वाहनों पर दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुये सभी वाहनों में स्पीड गर्वनर एवं रेडियम लगाये जाने का निर्णय लिया जाकर जिन वाहनों पर स्पीड गर्वनर एवं रेडियम लगा होना नहीं पाया जाता है ऐसे वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही- परिवहन अधिकारी, खनिज अधिकारी)

//2//

6. जिला अंतर्गत ग्राम सुरवाही तह. परसवाडा एवं ग्राम खैरलांजी तह. परसवाडा में नवीन रेत खदान घोषित किये जाने के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें ग्राम सुरवाही में वन विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन से लगा होना तथा ग्राम खैरलांजी में प्रस्तावित क्षेत्र का कान्हा नेशनल पार्क बफर जोन की वन सीमा से अन्दर होना दर्शाया गया है जिसके संबंध में समिति द्वारा क्षेत्र संचालक कान्हा नेशनल पार्क को पत्र लिखे जाने निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- वनमण्डलाधिकारी उत्तर (सा.), खनिज अधिकारी)

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।




(डॉ गिरीश कुमार मिश्रा)

कलेक्टर बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 31/05/2023

पृ.क्र/598-1/टा.फो./2023

1. पुलिस अधीक्षक, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वन मण्डलाधिकारी (द/उ) सामान्य, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उप वन मण्डलाधिकारी (द/उ) सामान्य, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला परिवहन अधिकारी, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सर्व तहसीलदार जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. संबंधित ग्राम पंचायत जनपद पंचायत की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।



प्रभारी अधिकारी

(खनिज शाखा)

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

क्रमांक/453 /टा.फो./2024

बालाघाट, दिनांक 6/5/2024

कार्यवाही विवरण

जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक दिनांक 30.04.2024 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 30.04.2024 को दोपहर 12:30 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में खनिज विभाग की जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक कलेक्टर बालाघाट डॉ गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

- | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| 1. श्री समीर सौरभ | - | पुलिस अधीक्षक |
| 2. श्री आर.के खातरकर | - | जिला खनि अधिकारी, जिला बालाघाट |
| 3. श्री अनिमेष गढपाल | - | जिला परिवहन अधिकारी, जिला बालाघाट |
| 4. सर्व खनि निरीक्षक | - | खनिज शाखा, कलेक्टोरेट बालाघाट |
| 5. समस्त स्टाफ | - | खनिज शाखा, कलेक्टोरेट बालाघाट |

म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल के पत्र क्र. एफ19-23/2005/12/2 दिनांक 22.03.2006 एवं पत्र क्रमांक 1029 भोपाल दिनांक 13.03.2023 में दिये गये निर्देशानुसार खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण रखने बाबत जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

- खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु चर्चा की गई जिसमें खनिज रेत के डम्फरों/ट्रेक्टर-ट्रॉलियों/मशीनों से अवैध परिवहन, उत्खनन एवं भंडारण में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने निर्देशित किया गया एवं की गई कार्यवाही का संबंधित थाने के रोजनामचे (आनलाईन कम्प्यूटर) में दर्ज करवाए जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी, खनि निरीक्षक)
- ग्राम नंदलेसरा तहसील कटंगी अंतर्गत निर्माणाधीन वेयरहाउस में उपयोगित गौण खनिज रेत की जानकारी के संबंध में निर्माण विभाग को पत्र लिखे जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)
- खनिज रेत के नवीन निविदत्त खदानों के संबंध में चर्चा की गई जिसमें नवीन रेत ठेकेदार का अनुबंध नहीं हुआ है, पुराने रेत ठेकेदार (एम.डी.ओ) को 02.05.2024 तक टी.पी. जारी होना है।
(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)
- म.प्र. रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 4(2) अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति के मजदूर, सदस्यों, कारीगरों, ग्रामीण कृषकों द्वारा स्वयं के निवास के निर्माण, मरम्मत, कुँओं के निर्माण व कृषि कार्यों हेतु ग्राम सभा द्वारा, अपनी अधिकारिता के भीतर, इस प्रयोजन के लिए सीमांकित एवं चयनित किए गए क्षेत्र से एक वर्ष में अधिकतम 10 घनमीटर रेत का उपयोग किया जा सकेगा, प्रावधानित है, तत्संबंध में ऐसे निर्माण कार्य कराए जा रहे व्यक्तियों की जानकारी/सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं तहसीलदारों से प्राप्त किये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)
- खनिज रेत के निविदत्त खदानों के नवीन ठेकेदार (एम.डी.ओ.) को रेत खदानों के सीमांकन उपरान्त ही कब्जा दिये जाने की कार्यवाही की जाये।
(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी व समस्त तहसीलदार)
- रेत ठेकेदार एम.डी.ओ. श्री राजेश पाठक को खनन योजना/पर्यावरण स्वीकृति अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र लिखे जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

(डॉ गिरीश कुमार मिश्रा)
कलेक्टर बालाघाट

पृ.क्र./A53^A/टा.फो./2024
प्रतिलिपि :-

बालाघाट, दिनांक 6/5 /2024

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
- 2- प्रबंध संचालक, दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 3- संचालक, प्रशासन तथा खनिकर्म 29-ए अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ ।
- 4- पुलिस अधीक्षक, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 5- वनमण्डलाधिकारी (द/उ) सा0, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 6- क्षेत्र संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व जिला मण्डला की ओर सूचनार्थ ।
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ ।
- 8- क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर म.प्र. की ओर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 9- सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 10- सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 11- जिला परिवहन अधिकारी, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 12- सर्व तहसीलदार जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 13- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त) जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 14- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


खाने अधिकारी
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

क्रमांक/260 /टा.फो./2024

बालाघाट, दिनांक 7/3/2024

कार्यवाही विवरण

जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक दिनांक 05.03.2024 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 05.03.2024 को अपरान्ह 04:00 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में खनिज विभाग की जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक कलेक्टर बालाघाट डॉ गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित जनप्रतिनिधि/सदस्य उपस्थित हुए :-

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. मान. विधायक श्री गौरव पारधी- | विधानसभा क्षेत्र-कंटगी |
| 2. श्री नरेश सिंह यादव | - संयुक्त संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला |
| 3. श्रीमति मीना कुमारी मिश्रा | - वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल दक्षिण(सा.) बालाघाट |
| 4. श्री अभिनव पल्लव | - वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल उत्तर(सा.) बालाघाट |
| 5. श्री विजय डाबर | - एडिशनल एस.पी. जिला बालाघाट |
| 6. श्री आर.के खातरकर | - जिला खनि अधिकारी, जिला बालाघाट |
| 7. श्री अनिमेष गढ़पाल | - जिला परिवहन अधिकारी जिला बालाघाट |
| 8. सर्व खनि निरीक्षक | - खनिज शाखा, कलेक्टोरेट बालाघाट |

म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल के पत्र क्र. एफ19-23/2005/12/2 दिनांक 22.03.2006 एवं पत्र क्रमांक 1029 भोपाल दिनांक 13.03.2023 में दिये गये निर्देशानुसार खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण रखने बाबत जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

1. जिला अंतर्गत खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु चर्चा की गई चर्चा में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सतत निगरानी रखने एवं शिकायत प्राप्त होने पर संयुक्त रूप से त्वरित कार्यवाही किये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग, खनिज विभाग एवं परिवहन विभाग)
2. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखण्ड ताम्र परियोजना के पक्ष में स्वीकृत खनिज कॉपर खनिपट्टा से खनिज कॉपर का सेम्पलिंग किया जाकर ग्रेड परीक्षण हेतु वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)
3. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड से सी.एस.आर. मद में किये गये कार्यों की जानकारी प्राप्त किये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)
4. सिया द्वारा मॉयल लिमिटेड के पक्ष में भरवेली एवं आवेलाझरी रकबा 76.409 हे. तथा ग्राम लगमा एवं उकवा रकबा 69.581 हे. क्षेत्र में जारी पर्यावरण सम्मति अनुसार मॉयल द्वारा वृक्षारोपण एवं CER मद में कार्य नहीं किये जाने से पर्यावरण सम्मति निरस्ती हेतु सिया कार्यालय भोपाल को पत्र प्रेषित किये जाने निर्देशित किया गया है।
(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)
5. जिला अंतर्गत स्वीकृत समस्त खदानों में खदान की अवस्थिति दर्शाने वाला सूचना बोर्ड, सीमा पिलर सुव्यस्थित स्थापित/संधारण किये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा)
कलेक्टर बालाघाट

क्र/260-^A/टा.फो./2024

बालाघाट, दिनांक 7/3/2024

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, प्रशासन तथा खनिकर्म 29-ए अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ।
3. प्रबंध संचालक, दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. पुलिस अधीक्षक, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वनमण्डलाधिकारी (द/उ) सा0, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. क्षेत्र संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व जिला मण्डला की ओर सूचनार्थ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ।
8. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर म.प्र. की ओर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. उप वन मण्डलाधिकारी (द/उ) सामान्य, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. जिला परिवहन अधिकारी, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. सर्व तहसीलदार जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



खनि अधिकारी

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

क्रमांक / 16 / टा.फो. / 2024

बालाघाट, दिनांक 4/01/2024

कार्यवाही विवरण

जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक दिनांक 01.01.2024 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 01.01.2024 को दोपहर 03:00 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में खनिज विभाग की जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक कलेक्टर बालाघाट डॉ गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित जनप्रतिनिधि/सदस्य उपस्थित हुए :-

- | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. मान. विधायक श्री गौरव पारधी | - | विधानसभा क्षेत्र-कंटगी |
| 2. मान. विधायक श्री विक्की पटेल | - | विधानसभा क्षेत्र-वारासिवनी |
| 3. मान. विधायक श्री राजकुमार कर्राहे | - | विधानसभा क्षेत्र-लांजी |
| 4. मान. विधायक श्री मधु भगत | - | विधानसभा क्षेत्र-परसवाडा |
| 5. मान. विधायक श्रीमति अनुभा मुंजारे | - | विधानसभा क्षेत्र-बालाघाट |
| 6. श्री समीर सौरभ | - | पुलिस अधीक्षक, बालाघाट |
| 7. श्री नरेश सिंह यादव | - | संयुक्त संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व |
| 8. श्री ओमप्रकाश सनोड़िया | - | अपर कलेक्टर जिला बालाघाट |
| 9. श्री विजय डाबर | - | एडिशनल एस.पी. जिला बालाघाट |
| 10. श्री आर.के खातरकर | - | जिला खनि अधिकारी, जिला बालाघाट |
| 11. श्री अनिमेष गढ़पाल | - | जिला परिवहन अधिकारी जिला बालाघाट |
| 12. श्री के.सी. ठाकुर | - | संयुक्त कलेक्टर जिला बालाघाट |
| 13. श्री राहुल नायक | - | एस.डी.एम. जिला बालाघाट |
| 14. सुश्री कामनी ठाकुर | - | एस.डी.एम. वारासिवनी |
| 15. श्री एम.आर. धुर्वे | - | एस.डी.एम. कंटगी |
| 16. श्री प्रदीप कुमार कौरव | - | एस.डी.एम. लांजी |
| 17. श्री सुधारक सिंह बघेल | - | एस.डी.एम. किरनापुर |
| 18. श्री कमल सिंहसार | - | एस.डी.एम. परसवाडा |
| 19. श्री सत्येन्द्र घनघोरिया | - | एस.डी.ओ.पी. लांजी |
| 20. श्री अभिषेक चौधरी | - | एस.डी.ओ.पी. वारासिवनी |
| 21. श्री अरविन्द शाह | - | एस.डी.ओ.पी. बैहर |
| 22. श्री सतीश साहू | - | एस.डी.ओ.पी. परसवाडा |
| 23. श्री प्रशांत साकरे | - | एस.डी.ओ. (फॉरेस्ट) उत्तर बालाघाट |
| 24. श्रीमति विनीता फुलवेल | - | एस.डी.ओ. (फॉरेस्ट) दक्षिण बालाघाट |
| 25. सर्व खनि निरीक्षक | - | खनिज शाखा, कलेक्टोरेट बालाघाट |

म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल के पत्र क्र. एफ19-23/2005/12/2 दिनांक 22.03.2006 एवं पत्र क्रमांक 1029 भोपाल दिनांक 13.03.2023 में दिये गये निर्देशानुसार खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण रखने बाबत जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

1. जिला अंतर्गत ग्राम पंचायतों के अधीन निर्माणाधीन कार्यों हेतु कम दाम में गौण खनिज रेत उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने निर्देशित किया गया एवं म.प्र. राजपत्र दिनांक 30.08.2019 के नियम 4 (2) के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मजदूर, सदस्यों, कारीगरों, ग्रामीण कृषकों द्वारा स्वयं के निवास के निर्माण, मरम्मत, कुओं के निर्माण व कृषि कार्यों हेतु ग्राम सभा द्वारा, अपनी अधिकारिता के भीतर, इस प्रयोजन के लिए सीमांकित एवं चयनित किये गये क्षेत्र से एक वर्ष में अधिकतम 10 घ.मी. रेत का उपयोग किया जा सकेगा एवं नियम 4 (3) के अनुसार अनुवांशिक कुम्हारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या ऐसे समूह की सहकारी समिति के सदस्य, जो परम्परागत साधनों से बर्तन, टाइल्स तथा ईंट बनाने में लगे हुए हैं, रॉयल्टी/प्रशासकीय प्रभार का भुगतान किए बिना ग्राम सभा द्वारा अपनी अधिकारिता के भीतर इस प्रयोजन के लिए सीमांकित एवं चयनित किए क्षेत्रों से रेत प्राप्त कर -

- सकेंगे उल्लेखित है, तदनुसार कार्यवाही किये जाने निर्देशित किया गया।

2. जिला अंतर्गत खनिज रेत की स्वीकृत कुल 65 खदानों का 01 सप्ताह के भीतर सीमांकन कर सीमा स्तम्भ लगवाये जाने निर्देशित किया गया एवं सीमांकन के दौरान संबंधित पुलिस थाने के स्टाफ को भी उपस्थित रहने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)
3. जिला अंतर्गत खनिज रेत के सभी स्वीकृत भंडारण क्षेत्रों में बोर्ड लगवाने हेतु निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)
4. खनिजों के परिवहन में उपयोग किये जाने वाहनो पर दुर्घटना रोकने के दृष्टिगत रखते हुये सभी वाहनों में स्पीड गर्वनर एवं रेडियम लगाये जाने का निर्णय लिया जाकर ऐसे वाहनों की नियमित रूप से जांच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-जिला यातायात प्रभारी, जिला खनिज अधिकारी, परिवहन अधिकारी, समस्त थाना प्रभारी)
5. जिला अंतर्गत स्वीकृत रेत खदानों/भंडारणों में कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक)
6. जिला अंतर्गत ग्राम बोरगांव तह. किरनापुर में खनिज रेत की खदान घोषित/स्वीकृत किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी)

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।




(डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा)

कलेक्टर बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 4/01/2024

पृ.क्र / 16 / टा.फो. / 2024
प्रतिलिपि :-

1. माननीय विधायक सर्व जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
3. प्रबंध संचालक, दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संचालक, प्रशासन तथा खनिकर्म 29-ए अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. वनमण्डलाधिकारी (द/उ) सा0, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. क्षेत्र संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व जिला मण्डला की ओर सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ।
9. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर म.प्र. की ओर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. उप वन मण्डलाधिकारी (द/उ) सामान्य, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. जिला परिवहन अधिकारी, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. सर्व तहसीलदार जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
15. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


खनि अधिकारी
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट (म.प्र.)

Office e-mail -modgmbal@mp.gov.in

क्रमांक / 861 / टा.फो. / 2024

बालाघाट, दिनांक 05/09/2024

कार्यवाही विवरण

जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक दिनांक 04.09.2024 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 04.09.2024 को अपराह्न 04:00 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में खनिज विभाग की जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक कलेक्टर बालाघाट मृणाल मीना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. श्री नागेन्द्र सिंह | - | पुलिस अधीक्षक |
| 2. श्रीमति मीना कुमारी मिश्रा | - | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट |
| 3. श्री अभिनव पल्लव | - | वनमण्डलाधिकारी उत्तर (सा.) वनमण्डल बालाघाट |
| 4. श्री अजय ठाकुर | - | सहा. संचालक, कान्हा नेशनल पार्क, |
| 5. श्री आर.के खातरकर | - | जिला खनि अधिकारी, बालाघाट |
| 6. श्री अनिमेश गढपाल | - | जिला परिवहन अधिकारी, बालाघाट |
| 7. श्री पी.एल. लक्षकार | - | कनिष्ठ प्रबंधक, म.प्र. राज्य खनिज निगम |
| 8. श्री शिव भास्कर | - | सहायक यंत्री, डी.एम.एफ. शाखा, बालाघाट |
| 9. सर्व खनि निरीक्षक | - | खनिज शाखा, कलेक्टोरेट बालाघाट |
| 10. समस्त स्टाफ | - | खनिज शाखा, कलेक्टोरेट बालाघाट |

म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल के पत्र क्र. एफ19-23/2005/12/2 दिनांक 22.03.2006 एवं पत्र क्रमांक 1029 भोपाल दिनांक 13.03.2023 में दिये गये निर्देशानुसार खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण रखने बाबत जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

- खनिज रेत के अवैध उत्खनन परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही किये जाने निर्देशित किया गया, किसी भी स्थिति में खनिज रेत का अवैध भंडारण न होने पाये।
(कार्यवाही-पुलिस अधीक्षक, खनिज अधिकारी, परिवहन अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं खनि निरीक्षक)
- शासन द्वारा कलेक्टर (खनिज शाखा) बालाघाट को आवंटन अनुसार स्वस्थ एवं सक्षम क्रियाशील होमगार्ड जवानों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने एवं पूर्व में भेजे गये होमगार्ड जवानों को पुनः नहीं भेजे जाने हेतु डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, होमगार्ड बालाघाट को लेख किये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, खनिज अधिकारी, जिला बालाघाट)
- जिला अंतर्गत स्वीकृत रेत खदानों में निर्धारित मापदण्ड अनुसार मुनारे एवं खदान की अवस्थिति दर्शाने वाले बोर्ड लगवाये जाने निर्देशित किया गया एवं स्वीकृत रेत खदानों का डी.जी.पी.एस. सर्व कराये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-जिला खनि अधिकारी, कनिष्ठ प्रबंधक, म.प्र. राज्य खनिज निगम/एम.डी.ओ.)
- श्री पी.एल. लक्षकार, कनिष्ठ प्रबंधक म.प्र. राज्य खनिज निगम को बगैर अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़े जाने निर्देशित किया गया एवं निगम के पक्ष में जिला बालाघाट अंतर्गत स्वीकृत रेत खदानों का सतत निरीक्षण/पर्यवेक्षण कर प्रतिवेदन कलेक्टर/खनि अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
(श्री पी.एल. लक्षकार, कनिष्ठ प्रबंधक)

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।


खनि अधिकारी
जिला-बालाघाट (म.प्र.)


कलेक्टर
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

पृ.क्र./ 861-A/टा.फो./2024
प्रतिलिपि :-

बालाघाट, दिनांक 5/09/2024

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2- प्रबंध संचालक, दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- संचालक, प्रशासन तथा खनिकर्म 29-ए अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ।
- 4- पुलिस अधीक्षक, जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5- वनमण्डलाधिकारी दक्षिण/उत्तर (सा.) वनमण्डल बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्र संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व जिला मण्डला की ओर सूचनार्थ।
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत बालाघाट की ओर सूचनार्थ।
- 8- क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
- 9- जिला परिवहन अधिकारी, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 10- समस्त अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11- डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड जिला बालाघाट की ओर लेख है कि शासन द्वारा कलेक्टर (खनिज शाखा) बालाघाट को आवंटन अनुसार स्वस्थ एवं सक्षम क्रियाशील होमगार्ड जवान उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 12- समस्त तहसीलदार, जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 13- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


खनिज अधिकारी
जिला-बालाघाट (म.प्र.)


कलेक्टर
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

क्रमांक / 1218 / टा.फो. / 2024

बालाघाट, दिनांक 30/12/2024

कार्यवाही विवरण

जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक दिनांक 30.12.2024 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 30.12.2024 को अपराह्न 01:00 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में खनिज विभाग की जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक कलेक्टर बालाघाट मृणाल मीना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. श्री नगेन्द्र सिंह | - | पुलिस अधीक्षक |
| 2. श्री आर.के खातरकर | - | जिला खनि अधिकारी, बालाघाट |
| 3. श्री अनिमेश गढ़पाल | - | जिला परिवहन अधिकारी, बालाघाट |
| 4. श्रीमति विनीता ब्रम्हे | - | एस.डी.ओ. (फॉरेस्ट) दक्षिण बालाघाट |
| 5. श्री प्रशांत साकरे | - | एस.डी.ओ. (फॉरेस्ट) उत्तर बालाघाट |
| 6. श्री अजय ठाकुर | - | सहा. संचालक, कान्हा नेशनल पार्क, |
| 7. सर्व खनि निरीक्षक | - | खनिज शाखा, कलेक्टोरेट बालाघाट |

म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल के पत्र क्र. एफ19-23/2005/12/2 दिनांक 22.03.2006 एवं पत्र क्रमांक 1029 भोपाल दिनांक 13.03.2023 में दिये गये निर्देशानुसार खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण रखने बाबत जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

1. खनिज रेत के अवैध उत्खनन परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही किये जाने निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-खनिज अधिकारी, परिवहन अधिकारी, राजस्व अधिकारी, संबंधित पुलिस अधिकारी एवं खनि निरीक्षक)

2. खनिजों के परिवहन में उपयोग किये जाने वाहनो पर दुर्घटना रोकने के दृष्टिगत रखते हुये सभी वाहनो में स्पीड गर्वनर एवं रेडियम लगाये जाने का निर्णय लिया जाकर ऐसे वाहनो की नियमित रूप से जांच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-जिला यातायात प्रभारी, जिला खनिज अधिकारी, परिवहन अधिकारी, समस्त थाना प्रभारी)

3. खनिजों के परिवहन में उपयोग किये जाने वाहनो पर ओवरलोड रोकने हेतु खनिजों के परिवहन में संलग्न वाहन, विनिर्माता (कंपनी) के द्वारा विनिर्दिष्ट मूल स्वरूप में ही कार्यरत रहें एवं वाहनो की भार क्षमता अनुसार ही खनिजों का परिवहन किया जाये तथा वाहनो में भार सामने/पीछे की ओर या ऊंचाई में या साईड से परे अनुज्ञेय सीमा से अधिक बाहर निकला होना/स्लेब/पट्टी पूरी तरह से बंद किये जाने निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-खनि अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, यातायात प्रभारी एवं समस्त पुलिस थाना प्रभारी)

4. ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी अंतर्गत बावनथडी नदी में खनिज रेत के अवैध उत्खनन की अत्यधिक शिकायत प्राप्त होती है, अतः समन्वय से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), तहसीलदार एवं खनि निरीक्षक नियमित रूप से ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी स्थित बावनथडी नदी से खनिज रेत के अवैध उत्खनन को रोकने हेतु सतत निगरानी रखेंगे।

(कार्यवाही-संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), तहसीलदार, खनि निरीक्षक)

5. समस्त निर्माण कार्य विभाग निर्माण कार्यों में उपयोगित गौण खनिज की रॉयल्टी के संबंध में म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 14-10/2018/12/1 भोपाल दिनांक 15.03.2018 अनुसार संबंधित ठेकेदार से ऑनलाईन रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे एवं ऑनलाईन रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में निर्माण कार्य में उपयोगित गौण खनिज मात्रा के बाजार मूल्य की राशि वसूल किया जाकर खनिज मद में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही-समस्त निर्माण कार्य विभाग, जिला बालाघाट)

6. जिला अंतर्गत जिन स्थानों से खनिज रेत के अवैध उत्खनन की अत्यधिक शिकायतें प्राप्त होती है या जहां पर रेत उपलब्ध है उन स्थानों को चिन्हित कर नवीन रेत खदान घोषित किये जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
(कार्यवाही-अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खनि अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जनपद पंचायत एवं खनि निरीक्षक)
7. खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु जांच दौरान संबंधित पुलिस थाना खनिज अमले को आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।
(कार्यवाही-पुलिस अधीक्षक, जिला बालाघाट)
8. मुख्य खनिज के लेप्स हेतु प्रेषित खनिपट्टा क्षेत्रों का भ्रमण कर नवीन खनिज ब्लॉक चिन्हित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
(कार्यवाही-खनि अधिकारी एवं खनि निरीक्षक)
9. समस्त खनि निरीक्षक प्रभार अंतर्गत स्वीकृत खदानों का भ्रमण/निरीक्षण करेंगे एवं सुसंगत विधि से कर निर्धारण कर अधिक से अधिक राजस्व जमा कराये जाना सुनिश्चित करेंगे।
(कार्यवाही- खनि निरीक्षक)
10. जिला अंतर्गत स्वीकृत खनि रियायतों में निर्धारित मापदण्ड अनुसार मुनारे एवं खदान की अवस्थिति दर्शाने वाले बोर्ड लगवाये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-खनि अधिकारी एवं खनि निरीक्षक)

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।


खनि अधिकारी
जिला-बालाघाट (म.प्र.)


कलेक्टर
जिला-बालाघाट (म.प्र.)
बालाघाट, दिनांक 30/12/2024

पृ.क्र./1218-A/टा.फो./2024
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2- प्रबंध संचालक, दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- संचालक, प्रशासन तथा खनिकर्म 29-ए अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ।
- 4- पुलिस अधीक्षक, जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5- वनमण्डलाधिकारी दक्षिण/उत्तर (सा.) वनमण्डल बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्र संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व जिला मण्डला की ओर सूचनार्थ।
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालाघाट की ओर सूचनार्थ।
- 8- क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
- 9- जिला परिवहन अधिकारी, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 10- समस्त अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11- समस्त तहसीलदार, जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 12- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


खनि अधिकारी
जिला-बालाघाट (म.प्र.)


कलेक्टर
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

789 46
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट (म.प्र.)

Office e-mail -modgmbal@mp.gov.in

क्रमांक / 346 / टा.फो. / 2025

बालाघाट, दिनांक 17/04/2025

कार्यवाही विवरण

जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक दिनांक 17.04.2025 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 17.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में खनिज विभाग की जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक कलेक्टर बालाघाट मृणाल मीना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. श्री अनिमेश गढ़पाल | - | जिला परिवहन अधिकारी, बालाघाट |
| 2. श्रीमति विनीता ब्रम्हे | - | एस.डी.ओ. (फॉरेस्ट) दक्षिण बालाघाट |
| 3. श्री प्रशांत साकरे | - | एस.डी.ओ. (फॉरेस्ट) उत्तर बालाघाट |
| 4. श्री वैशाली सिंह कराहलिया | - | सी.एस.पी. बालाघाट, |
| 5. श्री मुकेश वाडिवे | - | प्रभारी खनि अधिकारी बालाघाट |
| 6. सर्व खनि निरीक्षक | - | खनिज शाखा, कलेक्टोरेट बालाघाट |

म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल के पत्र क्र. एफ19-23/2005/12/2 दिनांक 22.03.2006 एवं पत्र क्रमांक 1029 भोपाल दिनांक 13.03.2023 में दिये गये निर्देशानुसार खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण रखने बाबत जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

- मुख्य खनिज मैगनीज के अवैध उत्खनन, परिवहन के विरुद्ध संयुक्त दल बनाकर जांच किये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-खनिज अधिकारी, परिवहन अधिकारी, राजस्व अधिकारी, संबंधित पुलिस अधिकारी एवं खनि निरीक्षक)
- जिला अंतर्गत वर्तमान में खनिज रेत की खदान असंचालित होने से जिले के शासकीय निर्माण कार्य विभागों को आवश्यकतानुसार खनिज रेत उपलब्ध कराये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही- जिला खनिज अधिकारी)
- वन क्षेत्रों के आस-पास खनिज रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण की जांच कर कार्यवाही किये जाने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-वन विभाग, खनिज विभाग)
- ग्रामीणों को 10 घ.मी. रेत उपयोग के संबंध में एस.ओ.पी. जारी किये जाने निर्देशित किया गया है।
(कार्यवाही-खनि अधिकारी)
- खनिज रेत परिवहन के संबंध में जारी गेटपास की जांच कर दिनांक 21.04.2025 को समय-सीमा बैठक के पश्चात् विस्तृत जानकारी समक्ष में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-खनि अधिकारी, खनि निरीक्षक)

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।


कलेक्टर
जिला-बालाघाट (म.प्र.)



कलेक्टर
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

पु.क्र./ 346 / टा.फो./ 2025

बालाघाट, दिनांक 17/4 / 2025

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2- प्रबंध संचालक, दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- संचालक, प्रशासन तथा खनिकर्म 29-ए अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ।
- 4- पुलिस अधीक्षक, जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5- वनमण्डलाधिकारी दक्षिण/उत्तर (सा.) वनमण्डल बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्र संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व जिला मण्डला की ओर सूचनार्थ।
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालाघाट की ओर सूचनार्थ।
- 8- क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
- 9- जिला परिवहन अधिकारी, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 10- समस्त अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11- समस्त तहसीलदार, जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 12- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 खनिज अधिकारी
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)


 कलेक्टर
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

क्रमांक / 547 / टा.फो. / 2025

कार्यवाही विवरण

जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक दिनांक 10.07.2025 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 10.07.2025 को अपराह्न 12:00 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में खनिज विभाग की जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक कलेक्टर बालाघाट श्री मृणाल मीना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1. श्री राकेश कुमार पन्द्रो - एडिशनल एस.पी. बालाघाट
2. श्रीमति विनीता ब्रम्हे - एस.डी.ओ. (फॉरेस्ट) दक्षिण बालाघाट
3. श्री तरुण कुमार डहेरिया - एस.डी.ओ. (फॉरेस्ट) उत्तर बालाघाट
4. सर्व खनि निरीक्षक - खनिज शाखा, कलेक्टोरेट बालाघाट
5. श्री प्रमोद उईके - प्रतिनिधि जिला परिवहन अधिकारी बालाघाट

म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल के पत्र क्र. एफ19-23/2005/12/2 दिनांक 22.03.2006 एवं पत्र क्रमांक 1029 भोपाल दिनांक 13.03.2023 में दिये गये निर्देशानुसार खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण रखने बाबत जिला टास्कफोर्स समिति की दिनांक 10.07.2025 को बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

1. बैठक में मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम की ओर से कनिष्ठ प्रबंधक श्री पी.एल. लक्षकार अनुपस्थित रहे, श्री लक्षकार को कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-एम.पी.एस.एम.सी., खनिज अधिकारी)
2. पूर्व में दिये गये निर्देशों के तारतम्य में पुनः जिला अंतर्गत स्वीकृत रेत खदानों में स्वीकृत नक्शा/सीमांकन अनुसार सीमा पिल्लर स्थापित होने के संबंध में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-एम.पी.एस.एम.सी. खनि निरीक्षक, जिला खनिज अधिकारी)
3. जिला अंतर्गत स्वीकृत रेत खदानों में पर्यावरण स्वीकृति में विहित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण कार्य किया गया है अथवा नहीं, के संबंध में जांच कर प्रतिवेदन 01 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-एम.पी.एस.एम.सी. खनि निरीक्षक, जिला खनिज अधिकारी)
4. दिनांक 17.04.2025 को आयोजित टास्कफोर्स की बैठक में दिये गये निर्देशानुसार मुख्य खनिज मैगनीज के अवैध उत्खनन, परिवहन के विरुद्ध संयुक्त दल बनाकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-खनि निरीक्षक, परिवहन अधिकारी, राजस्व अधिकारी, संबंधित पुलिस अधिकारी एवं खनि अधिकारी)
5. ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी अंतर्गत बावनथड़ी नदी में खनिज रेत हेतु स्वीकृत खदान में स्वीकृत क्षेत्र के बाहर भी उत्खनन हुआ है अथवा नहीं के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ग्राम चिचोली में दिसम्बर 2024 के पश्चात् अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में कारण सहित स्पष्ट प्रतिवेदन 01 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-तहसीलदार, खनि निरीक्षक, खनि अधिकारी)
6. समीक्षा के दौरान जिला अंतर्गत ई-खनिज 2.0 पोर्टल में तह. खैरलांजी अंतर्गत 03 ट्रिगर्स, तह. वारासिवनी अंतर्गत 02 ट्रिगर्स एवं तह. बालाघाट अंतर्गत 01 ट्रिगर्स जांच हेतु लंबित पाये गये। उक्त लंबित ट्रिगर्स की यथाशीघ्र जांच किये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-खनि निरीक्षक)
7. ग्राम कंजई तह. लालबर्सा में स्थापित ए.आई. चेक गेट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट किये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-खनि अधिकारी)

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।


खनिज अधिकारी
जिला-बालाघाट (म.प्र.)


कलेक्टर
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

पु.क्र. / 547 / टा.फो. / 2025
प्रतिलिपि :-

बालाघाट, दिनांक 11/07/2025

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2- प्रबंध संचालक, दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- संचालक, प्रशासन तथा खनिकर्म 29-ए अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ।
- 4- पुलिस अधीक्षक, जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5- वनमण्डलाधिकारी दक्षिण/उत्तर (सा.) वनमण्डल बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्र संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व जिला मण्डला की ओर सूचनार्थ।
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालाघाट की ओर सूचनार्थ।
- 8- क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
- 9- जिला परिवहन अधिकारी, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 10- समस्त अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11- समस्त तहसीलदार, जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 12- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रकाश अधिकारी
जिला-बालाघाट (म.प्र.)


क.सि.सिंह
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

क्रमांक / 655 / टा.फो. / 2025

बालाघाट, दिनांक 29/08/2025

कार्यवाही विवरण

जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक दिनांक 29.08.2025 का कार्यवाही विवरण


दिनांक 29.08.2025 को अपराह्न 12:00 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में खनिज विभाग की जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक कलेक्टर बालाघाट श्री मृणाल मीना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. श्री राकेश कुमार पन्द्रो | - | एडिशनल एस.पी. बालाघाट |
| 2. श्रीमति विनीता ब्रम्हे | - | एस.डी.ओ. (फॉरेस्ट) दक्षिण बालाघाट |
| 3. श्री तरुण कुमार डहेरिया | - | एस.डी.ओ. (फॉरेस्ट) उत्तर बालाघाट |
| 4. अनिमेष गढपाल | - | जिला परिवहन अधिकारी बालाघाट |
| 5. श्री सोहन सलामे | - | सहायक खनि अधिकारी जिला बालाघाट |
| 6. सर्व खनि निरीक्षक | - | खनिज शाखा, कलेक्टोरेट बालाघाट |

म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल के पत्र क्र. एफ19-23/2005/12/2 दिनांक 22.03.2006 एवं पत्र क्रमांक 1029 भोपाल दिनांक 13.03.2023 में दिये गये निर्देशानुसार खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण रखने बाबत जिला टास्कफोर्स समिति की दिनांक 29.08.2025 को बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

- 1- जिला अंतर्गत खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के विरुद्ध सख्त से कार्यवाही किये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-खनि निरीक्षक, परिवहन अधिकारी, राजस्व अधिकारी, संबंधित पुलिस अधिकारी एवं खनि अधिकारी)
- 2- मान. एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोन नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 1262/2024 में मान. एन.जी.टी. द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार महाराष्ट्र राज्य एवं मध्य प्रदेश राज्य के सीमावर्ती जिले में स्थित रेत खदानों में रेत खनन गतिविधियों की निगरानी माह में एक बार संयुक्त रूप से महाराष्ट्र राज्य एवं मध्य प्रदेश राज्य के जिले के संयुक्त दल द्वारा जाँच अनिवार्य रूप से किया जाये।
(कार्यवाही-खनि निरीक्षक, परिवहन अधिकारी, राजस्व अधिकारी, संबंधित पुलिस अधिकारी एवं खनि अधिकारी)
- 3- ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी अंतर्गत बावनथडी नदी में खनिज रेत के अवैध उत्खनन की अत्यधिक शिकायत प्राप्त होती है, अतः समन्वय से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), तहसीलदार एवं खनि निरीक्षक नियमित रूप से ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी स्थित बावनथडी नदी से खनिज रेत के अवैध उत्खनन को रोकने हेतु सतत निगरानी रखेंगे।
(कार्यवाही-संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), तहसीलदार, खनि निरीक्षक)
- 4- जिला अंतर्गत स्वीकृत रेत खदानों में मानसून अवधि समाप्ति पश्चात नक्शा/सीमांकन अनुसार सीमा पिल्लर स्थापित होने के संबंध में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-एम.पी.एस.एम.सी. खनि निरीक्षक, जिला खनिज अधिकारी)
- 5- खनिजों के परिवहन में उपयोग किये जाने वाहनो पर दुर्घटना रोकने के दृष्टिगत रखते हुये सभी वाहनों में स्पीड गर्वनर एवं रेडियम लगाये जाने का निर्णय लिया जाकर ऐसे वाहनों की नियमित रूप से जांच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-जिला यातायात प्रभारी, जिला खनिज अधिकारी, परिवहन अधिकारी, समस्त थाना प्रभारी)
- 6- खनिजों के परिवहन में उपयोग किये जाने वाहनो पर ओवरलोड रोकने हेतु खनिजों के परिवहन में संलग्न वाहन, विनिर्माता (कंपनी) के द्वारा विनिर्दिष्ट मूल स्वरूप में ही कार्यरत रहें एवं वाहनों की भार क्षमता अनुसार ही खनिजों का परिवहन किया जाये तथा वाहनों में भार सामने/पीछे की ओर या ऊंचाई में या साईड से परे अनुज्ञेय सीमा से अधिक बाहर निकला होना/स्लेब/पट्टी पूरी तरह से बंद किये जाने निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-खनि अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, यातायात प्रभारी एवं समस्त पुलिस थाना प्रभारी)

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।



खनि अधिकारी
जिला बालाघाट (म.प्र.)


कलेक्टर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

पृ.क्र / 655-A / टा.फो. / 2025
प्रतिलिपि :-

बालाघाट, दिनांक 29/08/2025

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2- प्रबंध संचालक, दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- संचालक, प्रशासन तथा खनिकर्म 29-ए अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ।
- 4- पुलिस अधीक्षक, जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5- वनमण्डलाधिकारी दक्षिण/उत्तर (सा.) वनमण्डल बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्र संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व जिला मण्डला की ओर सूचनार्थ।
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालाघाट की ओर सूचनार्थ।
- 8- क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
- 9- जिला परिवहन अधिकारी, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 10- समस्त अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11- समस्त तहसीलदार, जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 12- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


खनि अधिकारी
जिला-बालाघाट (म.प्र.)


कलेक्टर
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट (म.प्र.)

Office e-mail - modambal@gmp.gov.in

कमांक / 630 / खनिज / 2025
प्रति,

बालाघाट दिनांक 19/8/2025

कलेक्टर
(खनिज शाखा)
जिला भण्डारा (महाराष्ट्र)

- विषय :- जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) तथा जिला भण्डारा (महाराष्ट्र) के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित नदियों में रेत खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए अंतर्राज्यीय समिति का गठन किये जाने के संबंध में।
- संदर्भ :- माननीय नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एन.जी.टी.) सेन्ट्रल जोन नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण कमांक 1262/2024 की जांच हेतु गठित Joint Committee द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21.12.2024।

-----000-----

उपरोक्त विषयांकित कृपया अवलोकन हो। माननीय एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोन नई दिल्ली के प्रकरण कमांक 1262/2024 में माननीय एन.जी.टी. द्वारा गठित Joint Committee द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार, महाराष्ट्र राज्य एवं मध्यप्रदेश राज्य के सीमावर्ती जिले (भण्डारा एवं बालाघाट) में स्थित रेत खदानों में रेत खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए अंतर्राज्यीय समिति का गठन किये जाने के संबंध लेख किया गया है।

उक्त निर्देश के पालन में महाराष्ट्र राज्य एवं मध्यप्रदेश राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में खनिज रेत के खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए समन्वय स्थापित कर विभागीय अमले से मासिक निरीक्षण कराया जाकर संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित किया गया है।

अतः आप महाराष्ट्र राज्य एवं मध्यप्रदेश राज्य (जिला भण्डारा एवं जिला बालाघाट) के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित रेत खदानों के तथा आस-पास के क्षेत्र (जहाँ खनिज रेत उपलब्ध है) की जांच मध्यप्रदेश राज्य (जिला बालाघाट) के खनिज अमले के साथ संयुक्त रूप से मासिक निरीक्षण कर संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु अपने अधिनस्त खनिज अमले को निर्देशित करने का कष्ट करे।



कलेक्टर

जिला बालाघाट (म.प्र.)
बालाघाट दिनांक 19/8/2025पृ. कमांक / 630 / खनिज / 2025
प्रतिलिपि-

- 1- जिला खनिकर्म अधिकारी, जिला भण्डारा (महाराष्ट्र) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा) जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- सर्व खनि निरीक्षक (खनिज शाखा) जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य (जिला बालाघाट) से लगे सीमावर्ती महाराष्ट्र राज्य (जिला भण्डारा) के खनिज अमले से समन्वय/संपर्क स्थापित कर निर्देशानुसार रेत खनन गतिविधियों के संबंध में मासिक निरीक्षण कर संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।



कलेक्टर

जिला बालाघाट (म.प्र.)